प्रेस नोट- थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 01.09.2026

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त मय घटना में प्रयुक्त डण्डा के साथ किया गया गिरफ्तार ।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.08.2026 को वादी श्री सरजू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सबलापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 522/2026 धारा 191(2)/191(3)/110/131/115(2) बीएनएस बनाम 07 अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी के पिता पप्पू पुत्र फकीरे एवं अन्य पर लाठी-डण्डों/लोहे की रॉड से मारपीट करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गई। आज दिनांक 01.09.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मुनेन्द्र पुत्र खेमकरन निवासी ग्राम अहमदाबाद, थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली एवं अभियुक्ता कुमारी देवी पत्नी स्व0 बालकराम निवासी ग्राम सबलापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम उदना स्थित प्राइमरी स्कूल के पास पुवायाँ-बण्डा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मुनेन्द्र की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त करीब 04 फीट लम्बा लकड़ी का डण्डा ग्राम सबलापुर मोड़ स्थित ट्यूबवैल के पास से बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 30.08.2026 को वांछित अभियुक्तगण रीना पत्नी मुनेन्द्र, रोशनी पत्नी कमल एवं कमल पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार कर जिला कारागार शाहजहाँपुर भेजा जा चुका है। इस प्रकार कुल 07 अभियुक्तों में से 05 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा सेवान एवं सोनू की गिरफ्तारी शेष है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. मुनेन्द्र पुत्र खेमकरन नि0 ग्राम अहमदाबाद थाना हाफिजगंज जनपद बरेली उम्र करीब 36 वर्ष
2. कुमरी देवी पत्नी स्व0 बालकराम नि0 ग्राम सबलापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 52 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 522/2026 धारा 191(2)/191(3)/105/131/115(2) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान का विवरण-

दिनांक 01.09.2026 को समय 13.10 बजे, ग्राम उदना के प्राइमरी स्कूल के पास पुवायां बण्डा रोड से

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 2323 रोहित यादव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1162 अरुण कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. म0का0 1462 निकिता थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर